सं.ई-25013/2/2016-हिन्दी/ 839

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 10 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-2020 ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/2015/62/88-राजभाषा(क-2), दिनांक 27 सितम्बर, 1988 के अनुसरण में संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देते हैं । इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, अर्थात हिंदीभाषी एवं हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए रखे गए हैं । इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है जो सामान्यतया डिक्टेशन देते हैं, शामिल हो सकते हैं ।

2. यह योजना आयोग में लागू है (इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, अर्थात हिंदीभाषी एवं हिंदीत्तर भाषी अधिकारी के लिए पांच-पांच हजार रूपए के 2 अलग-अलग पुरस्कारों का प्रावधान है)।

3. योजना की अवधि वित्तीय वर्ष (अर्थात् 01.04.2019 से 31.03.2020) रखी गई है । योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी । यह रिकार्ड उनके स्टेनों, निजी सचिव भी रख सकते हैं । उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा ।

4. अतः वे अधिकारी जो वर्ष 2019-2020 के दौरान उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं, अपने कार्य का विवरण अपने पास रखे तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पश्चात वर्ष भर में दी गई डिक्टेशन कार्य का विवरण हिन्दी अनुभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं ।

10/4/19

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल-3720

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. सभी निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
4. सभी अवर सचिव/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, के.ज.आयोग ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के निजी सचिव ।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग ।
5. उप निदेशक (एसएमडी) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए।

Dy. No. 50
Dt. 11/4/19

19

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन सबधा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कार्य संबंधी रिकार्ड का प्रोफार्मा

1. अधिकारी का नाम :

2. आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक का नाम:

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन लिए गए शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी

हस्ताक्षर